

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**जल संसाधन विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नवा दायपुर अटल नगर,**  
**जिला-दायपुर (छ.ग.)**

क्रमांक ३१५३ / एफ-७-१०६ / ३१ / एस-२ / २०२४,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक २३/०८/२०२४

मुख्य अभियंता,  
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,  
जल संसाधन विभाग,  
बिलासपुर (छ.ग.)

**विषय :-** जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड-नवागढ़ अंतर्गत हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत शिवरीनारायण वितरक नहर के आर.डी. 14200 मी. में स्थित पाइप साइफन की जगह आर.सी.सी. साइफन का निर्माण एवं साइफन के अपस्ट्रीम में 500 मी. एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मी. तक प्रोटेक्शनवॉल का निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

**संदर्भ :-** प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-२९२४/बो.प्र. / AA/T.S. / मि.ह.बांगो / २०२४ / ६२६३, दि. २५.०७.२०२४.

—००—

राज्य शासन एतद् द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्ड-नवागढ़ अंतर्गत हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत शिवरीनारायण वितरक नहर के आर.डी. 14200 मी. में स्थित पाइप साइफन की जगह आर.सी.सी. साइफन का निर्माण एवं साइफन के अपस्ट्रीम में 500 मी. एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मी. तक प्रोटेक्शनवॉल का निर्माण कार्य हेतु लागत रु. 292.64 लाख (रूपये दो करोड़ बियानवे लाख चौसठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से सीधी सिंचाई नहीं होगी, परन्तु नहर के सुदृढ़ीकरण से लगभग 1900 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषकों को बार-बार नहर टुटने एवं सिंचाई में बाधा से छुटकारा मिल सकेगा।
3. कार्य विभाग नियमावली की कड़िका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट मांग संख्या-२३, लेखशीर्ष-४७००-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [०१]-हसदेव बांगो परियोजना, {८००}-अन्य व्यय, ०१०१-राज्य आयोजना (सामान्य), (२८९८)-बांध तथा संलग्न कार्य #२६-वृहद निर्माण कार्य, ००५-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की ७०वीं बैठक दिनांक ०२.०८.२०२४ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रेमसिंह घरेच्च)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
 संसाधन विभाग  
 २०२४

पृ.क्र. 3154 / एफ-7-106 / 31 / एस-2 / 2024,

अटल नगर, दिनांक 23 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल रामपुर-कोरबा, जिला-कोरबा।
14. कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा।
15. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
 जिल संसाधन विभाग  
४४४४